सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-99/प्रेस नोट/2021 **23 फरवरी 2021**

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना अहरौला

चोरी करने वाला चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार, अवैध कट्टा व कारतूस भी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वाँछित/चोरी गये सामानों के अभियान के तहत आज दिनांक 23.02.2021 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 दीनबन्धु यादव का0 सतीश सिंह का0 विश्वामित्र द्वारा रात्री गस्त व देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति अवैध वाहन तलाश वांछित अपराधि व रोकथाम हेतु बसही बजार चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबीर खास आकर सूचना दिया कि साहब एक व्यक्ति विसईपुर कि तरफ से लंगड़गज होते हुए चोरी का समान लेकर कही बेचने के लिए पैदल आ रहा है अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है उ0नि0 मय हमराह व मूखबिर को साथ लेकर लगड़गंज तिराहे के पास सरकारी गाड़ी को आड़ मे खड़ा कर कूछ दूरी पर जा कर पुलिस वाले दिवाल का आड़ लेकर आने जाने वाले व्यक्तियों का इन्तजार करने लगे कि थोडे देर बाद एक व्यक्ति एक सफेद बोरे मे अपने कंधे पर रखकर आता हुआ दिखाई दिया मूखबिर खास उस व्यक्ति के तरफ इशारा करके वहां से हट बढ़ गया पुलिस वाले उसके पास आने पर ज्योही आगे बढ़े , पुलिस वाले को देखते ही पीछे मुड़ कर भागने का प्रयास किया हमराहीगण के मदद से 20- 30 कदम पर घेरकर दौड़ाकर समय लगभग 03.50 AM पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता व भागने का कारन पूछा गया तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम केशव निषाद पुत्र संजय निषाद ग्राम विसईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बताया पकड़े गये व्यक्ति का यह कृत अन्तर्गत धारा 3/25 अर्म्स एक्ट का व माल बरामद एक अदद प्रिन्टर अन्तर्गत धारा 411 IPC में थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त केशव निषाद पुत्र संजय निषाद से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मेरे साथ सुनिल निषाद पुत्र हरिश्चन्द (मो0 नं0 9982700843) ग्राम विसईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने मिलकर दिनांक 25/11/2020 को थाना कप्तानगंज अन्तर्गत असरफपुर चौराहे के पास दुकान में प्रिंटर चोरी किया था जिसको बेचने के लिए लेकर जा रहा था।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 27/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- अभि0 केशव निषाद पुत्र संजय निषाद ग्राम विसईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

1- एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

2- एक अदद प्रिंटर कैनन कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह, थाना-अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 दीनबन्धू यादव थाना-अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सतीश सिंह थाना-अहरौला, जनपद आजमगढ़।
4. का0 विश्वामित्र थाना-अहरौला, जनपद आजमगढ़।